

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

अ-2/नि.श्रे./ग्रा.से./पदो/स्था./4-11/321

भोपाल दिनांक 19-1-12

:: आदेश ::

निम्नलिखित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को अस्थाई रूप से अन्य आगामी आदेश पर्यन्त कृषि विकास अधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 5200-20200 ग्रेड पे 2800 में आदेश जारी करने के दिनांक से निम्न शर्तों पर पदोन्नत कर पदस्थ किया जाता है :-

| क्र० | व. क. 1.4. 10 | कर्मचारी का नाम/ अधिकारी का नाम | जाति | जन्मतिथी | सर्वर्ग में नियुक्ति दिनांक | वर्तमान पदस्थापना स्थल | उप संचा.कृ. के अधीन पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना स्थल गृह तहसील/ वि.खं.छोड़कर |
|------|---------------------|------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10 अ | ए.टी.मंदरेले | सामा. | 04.04.54 | 13-07-78 | बालाघाट | मंडला |
| 2 | 58 | यू.एस.कश्यप | पि.व. | 10.02.52 | 28-07-78 | बालाघाट | मंडला |
| 3 | 91 | जे.बी.ढोमने | सामा. | 10.02.55 | 23-12-78 | बालाघाट | सिवनी |
| 4 | 98 | ए.के.राजपूत | सामा. | 25.10.57 | 05-07-79 | होशंगाबाद | हरदा |
| 5 | 99 | साकेत बिहारी सिंह जादौन | सामा. | 12.08.58 | 24-07-79 | भिण्ड | अशोकनगर |
| 6 | 102 | एल.के.साहू | पि.व. | 10.07.53 | 11-07-79 | भोपाल | सीहोर |
| 7 | 103 | आर.के.शुक्ला | सामा. | 26.07.55 | 11-07-79 | भोपाल | रायसेन |
| 8 | 104 अ | के.आर.रघुवंशी | सामा. | 30.06.56 | 11-07-79 | रायसेन | होशंगाबाद |
| 9 | 105 | गिरीश कुमार यादव | पि.व. | 05.04.59 | 11-07-79 | सिंगरौली | सीधी |
| 10 | 130 | एस.के.पाण्डे | सामा. | 25.06.56 | 16-07-79 | सतना | रीवा |
| 11 | 145 | ओ.पी.शर्मा | सामा. | 01.7.56 | 16-07-79 | सागर | दमोह |
| 12 | 146 | आर.पी.शुक्ला | सामा. | 10.07.55 | 16-07-79 | सतना | पन्ना |
| 13 | 147 | एस.के.वर्मा | पि.व. | 15.07.56 | 16-07-79 | सीहोर | शाजापुर |
| 14 | 149 | कमलेश सिंह रघुवंशी | सामा. | 06.09.57 | 16-07-79 | राजगढ़ | वि.खं.औबेदुल्लागंज |
| 15 | 150 | सुभाषचंद्र पाण्डे | सामा. | 25.05.57 | 16-07-79 | मन्दसौर | रतलाम |
| 16 | 151 | बाबूलाल भावसार | सामा. | 01.08.57 | 16-07-79 | धार | खरगोन |
| 17 | 152 | जी.पी.खरे | सामा. | 16.03.58 | 16-07-79 | रायसेन | विदिशा |
| 18 | 154 | पी.एस.गौर | पि.व. | 02.08.52 | 16-07-79 | सीहोर | राजगढ़ |
| 19 | 158 | आर.एस.यादव | पि.व. | 19.07.53 | 17-07-79 | सीहोर | शाजापुर |
| 20 | 159 | पी.एन.दवडे | पि.व. | 01.04.52 | 17-07-79 | बैतूल | हरदा |

rew.raeo - sur order-11



| क्र० | व. क्र. 1.4. 10 | कर्मचारी का नाम/ अधिकारी का नाम | जाति | जन्मतिथी | संवर्ग में नियुक्ति दिनांक | वर्तमान पदस्थापना स्थल | उप संचालक कृषि के अधीन पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना स्थल गृह तहसील/ वि.खं.छोड़कर |
|------|-----------------------|------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | 159 अ | आर.के.कीर | सामा. | 10.02.57 | 17-07-79 | बैतूल | हरदा |
| 22 | 160 | बापूसिंह चौहान | पि.व. | 02.01.53 | 17-07-79 | मन्दसौर | नीमच |
| 23 | 161 | जे.पी.शर्मा | सामा. | 01.07.53 | 17-07-79 | सीहोर | प्रक्षेत्र रेहटी |
| 24 | 163 | देवराज गौर | सामा. | 01.07.54 | 17-07-79 | उज्जैन | शाजापुर |
| 25 | 164 | एस.एल.देशमुख | पि.व. | 16.07.54 | 17-07-79 | बैतूल | छिंदवाड़ा |
| 26 | 165 | मोहनलाल सुनानिया | पि.व. | 11.12.54 | 17-07-79 | उज्जैन | मंदसौर |
| 27 | 166 | एम.एल.सोनी | पि.व. | 02.01.55 | 17-07-79 | मन्दसौर | शाजापुर |
| 28 | 167 | कैलाश नारायण पालीवाल | सामा. | 11.04.52 | 17-07-79 | उज्जैन | शाजापुर |
| 29 | 168 | पी.एन.छापरे | पि.व. | 10.01.56 | 17-07-79 | खण्डवा | हरदा |
| 30 | 169 | ए.के.राठौर | पि.व. | 16.02.56 | 19-07-79 | बैतूल | हरदा |
| 31 | 364 | शुंडेलाल अहिरवार | अ.जा. | 08.09.54 | 25-07-79 | पन्ना | टीकमगढ़ |
| 32 | 366 | शोभाराम चौरसिया | अ.जा. | 03.08.55 | 25-07-79 | भिण्ड | दतिया |
| 33 | 4094 | जगत सिंह सिंगोरिया | अ.ज.जा | 01.12.59 | 10-06-87 | बडवानी | धार |

- 1 यदि यह पाया गया कि पदोन्नति किये गये कर्मचारी से वरिष्ठ कोई कर्मचारी किसी कारण पदोन्नत नहीं हो पाया है, तो नियमानुसार वरिष्ठता निर्धारण कर कनिष्ठ व्यक्ति को पदावनत किया जा सकता है।
- 2 जिस उप संचालक कृषि के अधीन पदोन्नत कर्मचारी को पदोन्नत किया गया है, वह उनके जिले में संबंधित की गृह तहसील/गृह विकास खंड छोड़कर पदस्थापना आदेश तत्काल जारी करेंगे तथा जब तक पदस्थापना आदेश प्रसारित नहीं करते, तब तक किसी कर्मचारी को वर्तमान पद से शरमुक्त नहीं किया जावे।
- 3 जिस जिले/संभाग में इस आदेश से पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत है, उस जिले के संयुक्त संचालक कृषि/उप संचालक कृषि को यह देखना होगा कि कर्मचारी के विरुद्ध कोई निलंबन अभियोजन प्रताड़ना अथवा विभागीय जांच लंबित तो नहीं है। यदि किसी प्रकरण में विभागीय जांच लंबित हो या विभागीय जांच का निर्णय जिसमें पदोन्नति प्रभावित होती है, यह पदोन्नति आदेश निरस्त मानकर यह आदेश वितरित नहीं किया जावे। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति का आदेश संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि, म.प्र.भोपाल को मूलतः वापस करेंगे, विभागीय जांच के निर्णय या दण्ड अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रकरण पर पुनर्विचार किया जावेगा।
- 4 पदोन्नत कर्मचारी उस जिले/संभाग में कार्यरत नहीं है, जहां आदेश में दर्शाया गया है तो यह आदेश उस संभाग के संयुक्त संचालक कृषि/उप संचालक कृषि को भेजा जावे जहां वह कार्यरत है।

5. पदोन्नत कर्मचारी का विवरण दिया गया है। कर्मचारी के व्यक्तिगत अभिलेखों से मिलान कर संबंधित को आदेश वितरित करेंगे तथा विवरण में अंतर हो तो तदनुसार संचालनालय को सूचित किया जावे।
6. यदि कोई ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पूर्व में पदोन्नत हो चुका हो/मृत्यु हुई हो/त्याग-पत्र दिया गया हो/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गया हो, तो उसके संबंध में पूर्ण जानकारी सहित आदेश मूलतः वापस लौटावे।
7. इस पदोन्नति आदेश जारी होने के दिनांक से 1 माह के अंदर अपने पदोन्नति स्थान पर अनिवार्य रूप से कार्य ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश ऐसी स्थिति में निष्प्रभावी माना जावेगा।
8. जिस कार्यालय के अधीन पदोन्नत कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करेंगे वह कार्यालय उनके कार्य ग्रहण करने की तिथि से शीघ्र संचालनालय को सूचित करेंगे। यह पदोन्नति आदेश पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरान्त ही प्रभावशील होगा।
9. पदोन्नत कर्मचारी को दो वर्ष के अंदर लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियमित वार्षिक वृद्धि स्वीकृत नहीं की जा सकेगी। 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारी को लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने की छूट है।
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का पालन किया गया है।
11. पदोन्नति आदेश प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प प्रस्तुत किया जावेगा। एक माह पश्चात दिया गया विकल्प मान्य नहीं होगा।
12. यदि इन पदोन्नत कर्मचारी से कनिष्ठ कोई ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पूर्व आदेश अ-2/नि.श्रे./ग्रा.से./पदो/स्था./4-11/3177-78 भोपाल दिनांक 30-06-11 द्वारा कृषि विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नत हो गये हो, तो इस आदेश के अन्तर्गत पदोन्नत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की कृषि विकास अधिकारी संवर्ग में उन कनिष्ठ व्यक्तियों के उपर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की स्थिति दर्शाने वाली वरिष्ठता सूची के आधार पर वरिष्ठता दी जावेगी।




संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

अ-2/नि.श्रे./ग्रा.से./पदो/स्था./4-11/322
प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

भोपाल दिनांक 19-1-12

- (1) विशेष सहायक, मा0 कृषि राज्य मंत्रीजी, म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल की ओर एकल नस्ती जा.क. 30 दिनांक 14.1.12 के संदर्भ में।
- (2) प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
- (3) संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास..... म0प्र0।
- (4) उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म0प्र0।
- (5) कल्याण अधिकारी, कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ, संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र.भोपाल।
- (6) अध्यक्ष, म.प्र.ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ, 77 बी, भवानीपुर कालोनी इंदौर।
- (7) निज सहायक, संचालक कृषि/विभागीय जॉब/सी0आर0/अ-3-अ/अ-3-स पटल।
- (8) संबंधित श्री ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा क्रमांक-4
- (9) आदेश नस्ती।


संयुक्त संचालक कृषि(स्था0)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल